संख्या-28/2092 ई-2/तेरह-2014-75/2013

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनउ::दिनांक 18 नवम्बर,2014

विषय:- उत्तर प्रदेश में हेरिटेज पर्यटन नीति लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उक्त सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-1614/41-2014-174 सा0/13, दिनांक 18 जुलाई,2014, आबकारी अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1867 ई-2/तेरह-2014-75/2013, दिनांक 26 सितम्बर,2014 तथा अपने पत्र संख्या-जी-117/दस-लाइसेंस-9/नयी बीयर नीति/2014, दिनांक 14 अक्टूबर,2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिये आबकारी नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-116 ई-2/तेरह-2014-126/2013, दिनांक 29-01-2014 के भाग-(अ) के प्रस्तर-2.21 के क्रम में आपके परिपत्र संख्या-19702-776/दस-लाइसेंस-9/नयी बीयर/बार नीति/2014-15, दिनांक 05-2-2014 द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस निर्धारित की गयी है तथा पर्यटन विभाग द्वारा उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-1614/41-2014-174/सा0/13, दिनांक 18-7-2014 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश हेरिटेज पर्यटन नीति के प्रस्तर-4(9) में हेरिटेज होटलों में संचालित होने वाले बार अनुज्ञापनों के लाइसेंस फीस के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया है:-

(9) आबकारी लाइसेंस शुल्क-ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हेरिटेज होटल को

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

अपने परिसर में बार लाइसेंस हेतु लाइसेंस शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट 05 वर्षों तक दी जायेगी।

उक्त व्यवस्था के अनुपालन में एतद्द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले हेरिटेज होटल को अपने परिसर में बार संचालन हेतु बार लाइसेंस शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट 05 वर्षों तक अनुमन्य की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा इस हेतु यदि किसी अधिसूचना या नियमावली प्रख्यापन की आवश्यकता हो तो यथावश्यकता उसके प्रारूप सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
किशन सिंह अटोरिया
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2092(1) ई-2/तेरह-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके पत्र संख्या-1614/41-2014-174 सा0/13, दिनांक 18 जुलाई,2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
मोहम्मद जुनीद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/GO/mtra